Komal Jeevan 100

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

कोमल जीवन योजना /KOMAL JEEVAN PLAN

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे एतदोपरान्त "निगम" संबोधित किया गया है) यहाँ नीचे संदर्भित तालिका में नामांकित प्रस्तावक एवं बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव, घोषणा तथा प्रथम प्रीमियम प्राप्त करने के उपरान्त कथित प्रस्तावक व "निगम" उक्त प्रस्ताव व घोषणा में समाहित व संदर्भित प्रावधानों को इस बीमा का आधार मानने इस पॉलिसी द्वारा तालिका में निगमानुसार परवर्ती प्रीमियमों के नियमित रूप से प्राप्त होते रहने पर तथा उनके प्रतिफलस्वरूप अपने उस शाखा कार्यालय पर जहाँ इस पॉलिसी की सेवा की जाती है, तालिका में निगमानुसार बीमाकृत, गारंटीकृत अधिलाभ के रूप में प्राप्त हुई राशि सहित देय होने पर भुगतान के लिए दावा करने वाले व्यक्ति तथा व्यक्तियों के स्वामित्वाधिकार तथा प्रस्ताव में लिखित बीमित व्यक्ति की कथित आयु की सत्यता को, यदि आयु पहले स्वीकृत नहीं की गई है, निगम के समक्ष संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करने पर उन व्यक्तियों को जिन्हे तालिका की शर्तों के अनुसार बीमाधन देय है, निगम बिना किसी ब्याज के भुगतान करने के लिए सहमत होता है। और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इसके पृष्ठ भाग पर मुद्रित शर्तों एवं सुविधाओं के अधीन होगी और यह कि निम्नलिखित तालिका और निगम द्वारा पॉलिसी पर अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "The Corporation") having received a Proposal and Declaration, and the first premium from the Proposers and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Sum Assured together with such further sum as may be allocated by way of Guaranteed additions but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Sum Assured having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof, and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part thereof.

229 L.I.C. OF INDIA

तालिका /Schedule शाखा कार्यालय /Branch Office 06220229 मंडल /Division 0007929

पालिसी संख्या तथा आरंभ तिथि Policy No. and Date of Commencement	बीमा योजना और प्रीमियम भुगतान अवधि Plan of Assurance and Premium paying Term	मूल बीमाधन (रु.) अवधि अनुवृद्धि बीमाराशि (रु.) Basic Sum Assured (Rs.) Terms Rider Sum Assured (Rs.)	देय तिथि और भुगतान विधि Due Date and Mode of payment
275972247 08/09/2013	159 25 17	500000	08th Hly

मूल देय प्रीमियम किश्त (रु.) Basic Instalment Premium Payable (Rs.)	19997.00
अवधि अनुवृद्धि प्रीमियम (रु.) Term Rider Premium (Rs.)	
प्री.अ.हि. प्रीमियम (रु.) PWB Premium (Rs.)	

पॉलिसी के अन्य विवरण / Other Particulars of the Policy

प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति का नाम और पता
Name and Address of Proposer and Life Assured

DIVYANSHI SINGH
D/O. SRI VIKAS SINGH
803 / 1282 KRANTI PUR
DIST. RAEBARELI.
229061

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि Date of Commencement of Risk :	
पॉलिसी निहित होने की तिथि Vesting Date :	08/09/2019
पूर्णावधि तिथि Date of Maturity :	08/09/2030
अंतिम भुगतान की तिथि Date of Last Payment :	08/09/2038
	08/03/2030

प्रस्ताव की तिथि Date of Proposal :	
प्रस्ताव संख्या और तिथि Proposal No. & Date :	13/11/2013
बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि Date of Birth of Life Assured :	17177
बीमित व्यक्ति की आयु Age of Life Assured :	08/09/2012
क्या आयु स्वीकृत हो गई है? Whether Age Admitted? :	01
प्रस्तावक की जन्मतिथि Date of Birth of Proposer:	Y
प्रस्तावक की आयु Age of Proposer :	01/12/1982
क्या आयु स्वीकृत हो गई है? Whether Age Admitted ? :	31
	Y

घटनाएँ जिनके घटित होने पर भुगतान देय होगा / EVENTS ON THE HAPPENING OF WHICH PAYMENTS ARE TO BE MADE

1. निर्धारित पूर्णावधि तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु यदि यह जोखिम प्रारम्भ तिथि पर अथवा बाद में हुई हो। On the Life Assured's death before the stipulated Date of maturity if it shall occur on or after the Date of Commencement of Risk	बीमाधन Sum Assured
2. 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के तत्काल बाद पालिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर। On the Life Assured's surviving the Policy anniversary immediately after the completion of age 18 years	बीमाधन का 20 प्रतिशत 20% of the Sum Assured
3. 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने के तत्काल बाद पालिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर। On the Life Assured's surviving the Policy anniversary immediately after the completion of age 20 years	बीमाधन का 20 प्रतिशत 20% of the Sum Assured
4. 22 वर्ष की आयु पूर्ण होने के तत्काल बाद पालिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर। On the Life Assured's surviving the Policy anniversary immediately after the completion of age 22 years	बीमाधन का 30 प्रतिशत 30% of the Sum Assured
5. 24 वर्ष की आयु पूर्ण होने के तत्काल बाद पालिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर। On the Life Assured's surviving the Policy anniversary immediately after the completion of age 24 years	बीमाधन का 30 प्रतिशत 30% of the Sum Assured
6. 26 वर्ष की आयु पूर्ण होने के तत्काल बाद पालिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर। On the Life Assured's surviving the Policy anniversary immediately after the completion of age 26 years	गारंटीकृत आधिक्य के साथ निष्ठा आधिक्य अगर कोई हो तो Guaranteed Additions along with Loyalty Additions, if any

बीमाधन किसे देय होगा। To whom Sum Assured payable	यदि इसमें किये गये प्रावधानों के अनुसार यह पॉलिसी बीमित व्यक्ति में निहित हो गई है तो उसकी बीमा अधिनियम की धारा–39 के अन्तर्गत उसके नामनुदेशितियों या सीमिति व्यक्तियों अथवा उस प्रमाणित प्रबन्धकों प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को दिया जाएगा जिन्हें उसकी सेवा अथवा केवल इन पॉलिसी के अन्तर्गत देय राशि के वास्ते, भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा। If the Policy has vested in the Life Assured as herein provided to him or his assigns of nominees under section 39 of the Insurance Act or Proving Executors Or Administrators of other Legal representatives who should take out should take out representation to his estate or limited to the moneys payable under this policy from any court of any State of Territory of the Union of India
अवधि जिसमें प्रीमियम देय होगा। Period during which Premium payable	निर्धारित अंतिम भुगतान की तिथि तक अथवा इसके पूर्व बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने तक Till the stipulated date of Last Payment or previous death of the Life Assured
प्रीमियम देय होने की तिथियाँ Dates when premium payable	..... में निर्धारित तिथि को। On the stipulated due date in .....

विशेष प्रावधान/Special Provisions :

1. गारंटीकृत आधिक्य : यदि पालिसी चालू स्थिति में हो तो 75/– रु. प्रति हजार बीमाराशि की दर से गारंटीकृत आधिक्य इस पालिसी वर्ष पर पॉलिसी की आरंभ तिथि से बीमाराशि को जोड़ा जाएगा। यह राशि निर्धारित पूर्णावधि तिथि पर बीमादार के जीवित होने पर या उसके पूर्व बीमादार की मृत्यु होने पर देय होगी बशर्ते कि मृत्यु पॉलिसी के जोखिम आरंभ तिथि पर या बाद में हो।
   Guaranteed Addition : Provided the policy is in force a Guaranteed Addition of Rs.75/-per thousand Sum Assured will be added to the policy at the end of each policy year begining with the date of commencement of the Policy, and will be payable on the Date of Maturity if the Life Assured is then alive or on death if earlier, provided it takes place on or after the date of Commencement of Risk
2. निष्ठा आधिक्य : पालिसी के अंतर्गत जोखिम आरंभ होने के बाद बीमित व्यक्ति के निर्धारित पूर्णावधि तिथि तक जीवित रहने पर या यह पालिसी, ऐसी दरों और शर्तों पर जो निगम द्वारा घोषित किये जायेंगे, निष्ठा आधिक्य के लिए पात्र होगी बशर्ते कि पूर्णावधि तिथि पर या मृत्यु होने की तिथि पर पालिसी पूर्ण रूप से चालू स्थिति में हो। प्रावधान है कि परिपक्वता तिथि या बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने की तिथि तक पालिसी जितने वर्षों तक चालू स्थिति में थी (इस धारा में संदर्भ पूरे किए गए पालिसी वर्षों से है), निगम द्वारा विभिन्न पूरे किए गए पालिसी वर्षों के लिए निष्ठा आधिक्य की अलग अलग दरें घोषित की जा सकती है। आगे यह भी प्रावधान है कि पूर्णावधि तिथि अथवा मृत्यु की तिथि के पूर्व पॉलिसी के अन्तर्गित किए जाने या बंद किये जाने अथवा चुकता किए जाने की दशा में कोई निष्ठा आधिक्य देय नहीं होगा।
   Loyality Addition : After commencement of the risk under the policy, on the life assured surviving the stipulated date of maturity or on earlier death of the life assured and provided the policy is in full force on the death or of maturity or on the date of death this policy may be eligible for payment of loyality Additions at such rates as may be declared by the Corporation provided that based on the number of complete years the policy has been inforce on the date of maturity or on the date of death (referred to in this clause as "completed policy duration") different rates may be declared for different completed policy durations's. Provided further that no Loyaly Additions will be payable in the event of policy being surrendered or discontinued or made paid up before the date of maturity or the date of death.
3. अवधि अनुवृद्धि हितलाभ : अगर चुना हो तो, तालिका में दिखाए गए एक अवधि अनुवृद्धि बीमाधन का भुगतान, बीमित व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ समाप्त होने के पूर्व प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, देय होगा। गारंटीकृत आधिक्य, निष्ठा आधिक्य और शर्तों व सुविधाओं का अनुच्छेद 4 अवधि अनुवृद्धि हितलाभ के लिए लागू नहीं होगा।
   Term Rider Benefit : If opted, a Term Rider Sum Assured as shown in the schedule will be paid as Term Rider Benefit in case of death of the proposer before the vesting date immediately following Guaranteed Additions, Loyality Additions and Para 1 before of the Conditions and Privileges does not apply to Term Rider Benefit.
4. प्रीमियम अधित्याग हितलाभ : अगर चुना हो तो, निहित तिथि से पूर्व प्रस्तावक की मृत्यु होने पर उसके बाद देय होने वाले प्रीमियम के भुगतान का अधित्याग होगा।
   Premium Waiver Benefit : It opted the payment of premiums falling due after the date of death of the proposer and before the vesting date shall be waived.

यह आलेख साक्ष्य के रूप में निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये गये जिसका पता नीचे लिखा गया है और इस पते पर पॉलिसी से सम्बन्धित पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए।

In witness whereof these presents have been executed and Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch, whose address is given below and to which all communications relating to the policy should be addressed.

04/12/2013 BRANCH OFFICE-I Mar Sep CANAL ROAD RAEBARELI

सुरेश कुमार
प्रशा.अधि.
शाखा–प्रथम रायबरेली

दिनांक/Date :

जाँचकर्ता/ Examined by
तालिका संख्या १५६/ Table No.159
फार्म संख्या/Form No.

कृते मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक P.Chief/Sr./Branch Mananer